

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

लोक निर्माण अनुभाग-1

विषय- रिट याचिका संख्या-375/एस0एस0/2017 रणधीर सिंह, रिट याचिका सं0-376/एस0एस0/2017 रामकुमार, 377/एस0एस0/2017 अमरनाथ सिंह, 378/एस0एस0/2017 रणवीर सिंह, रिट याचिका सं0-557/एस0एस0/2017 प्रीतम सिंह व अन्य बनाम राज्य तथा रिट याचिका सं0-1110/एस0एस0/2014 हरस्वरूप बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2016 एवं दिनांक 07.04.2017 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र सं0-720/111(1)/17-59(रि0या0)/2014 दिनांक 16 जून, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा रिट याचिका सं0-1110/एस0एस0/2014 हरस्वरूप बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.06.2016 के अनुपालन में रिट याचिका में उल्लिखित वादी सं0-1 श्री हरस्वरूप एवं वादी सं0-07 श्री समय सिंह की विभागीय नियमित सेवा 10 वर्ष से कम होने के दृष्टिगत स्थापित वित्तीय नियमों के अनुसार नियमित सेवा की अवधि पूर्ण न होने के दृष्टिगत पेन्शन लाभ दिया जाना संभव नहीं है, के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अन्य वादीगणों के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि यदि कोई कर्मचारी शासनादेश दिनांकित 25.10.2005 जो दिनांक 01.10.2005 से लागू है, के बाद भी विनियमित हुआ है, परन्तु उसकी सेवा दिनांक 01.10.2005 के पूर्व से ही प्रारम्भ है तो उसे पुरानी पेन्शन योजना का लाभ दिया जायेगा। अधिसूचना दिनांकित 25 अक्टूबर, 2005 में भी यह उल्लेख है कि यह योजना केवल सेवा में आने वाले (New Entrants) कर्मचारियों के लिए है।

अतः इस सम्बन्ध में आपके पत्र सं0-1197/1838 वि0प्र0/16 दिनांक 24.08.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे वर्कचार्ज कर्मचारी जो दिनांक 01.10.2005 से पूर्व विभाग में कार्यरत हैं, तथा उक्त तिथि के उपरान्त विभाग में नियमित अधिष्ठान में नियुक्त किये गये हैं यदि उनके द्वारा विभाग में नियमित रूप से 10 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली गई है तो उन्हें मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.06.2016 तथा रिट याचिका सं0-375, 376, 377, 378 तथा 557/एस0/एस0/2017 में पारित निर्णय दिनांक 07.04.2017 के अनुपालन में पुरानी पेन्शन योजना का लाभ उक्त निर्णयों के आलोक में देने का कष्ट करें।

कायदेवा
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

भवदीय,

(ओम प्रकाश)

अपर मुख्य सचिव

संख्या-1483/111(1)/17-04(12), रि0या0/17

1282

CAO-E/वर्कचार्ज
AO (विद्य)

SSO-I

9/10/17
(SSO-I)

महलपुल
श्रीधर
AO वि० प्र०
09/10/17
CAO

WA शासनादेश, 5A
9/10/17

354
10-10-17



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
"विधि प्रकोष्ठ वर्ग"
लोक निर्माण विभाग, देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Phone & Fax:- 0135-2531742, 2530431

E-Mail-eicpwduk@nic.in

Website-http://pwd.uk.gov.in

पत्र सं०-1631 /2185 वि०प्र०/17
सेवा में,

दिनांक 28/10/2017

1. समस्त मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
.....।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
.....।

विषय:- रिट याचिका सं०-375/एस०एस०/2017 रणधीर सिंह, 376/एस०एस०/2017 रामकुमार, 377/एस०एस०/2017 अमरनाथ सिंह, 378/एस०एस०/2017 रणबीर सिंह, 557/एस०एस०/2017 प्रीतम सिंह व अन्य बनाम राज्य तथा रिट याचिका सं०-1110/एस०एस०/2014 हरस्वरूप बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2016 एवं दिनांक 07.04.2017 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- शासकीय पत्रांक-1483/111(1)/17-04(12)रि०या०/17, दिनांक 28.09.2017 एवं उस पर इस कार्यालय का पृष्ठांकन पत्रांक-354/2185वि०प्र०/17, दिनांक 10.10.2017.

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पृष्ठांकन पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में उक्त शासकीय पत्र दिनांक 28.09.2017 पर इस कार्यालय के पृष्ठांकन पत्रांक 354/2185वि०प्र०/17, दिनांक 10.10.2017 द्वारा समस्त मुख्य अभियन्ताओं/अधीक्षण अभियन्ताओं को सूचनार्थ एवं शासकीय पत्र में दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया था।

इस सम्बन्ध में आपको पुनः सूचित किया जा रहा है कि उक्त शासकीय पत्र दिनांक 28.09.2017 का आशय केवल विषयक रिट याचिका में सम्मिलित याचीगणों से है न की समस्त वर्कचार्ज कर्मचारियों से।

अतः इस कार्यालय के पृष्ठांकन पत्र संख्या-354/2185वि०प्र०/17, दिनांक 10.10.2017 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(आर०सी० पुरोहित)
मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (मुख्यालय)

1-प्रतिलिपि:- अपर सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

2-प्रतिलिपि:- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, वृत्त, लोक निर्माण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (मुख्यालय)

इस दस्तावेज़ में पत्रांक 1617/2185 दि० 9-17 दि० 27-10-17
द्वारा निरस्त

कोर्ट केस/महत्वपूर्ण/तत्काल



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
"विधि प्रकोष्ठ वर्ग"
लोक निर्माण विभाग, देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Phone & Fax:- 0135-2531742, 2530431

E-Mail-eicpwduk@nic.in

Website-http://pwd.uk.gov.in

पत्र सं०- 1580 / 2185 वि० प्र० / 17
सेवा में,

दिनांक 16 / 10 / 2017

मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
क्षेत्र 0 का 0 / रा० मा० / ए० डी० बी० / यू० ई० ए० पी० / वर्ल्ड बैंक
पौड़ी / टिहरी / देहरादून / पिथौरागढ़ /
अल्मोड़ा / हल्द्वानी।

विषय:- रिट याचिका सं०-375/एस०एस०/2017 रणधीर सिंह, 376/एस०एस०/2017
रामकुमार, 377/एस०एस०/2017 अमरनाथ सिंह, 378/एस०एस०/2017 रणबीर सिंह,
557/एस०एस०/2017 प्रीतम सिंह व अन्य बनाम राज्य तथा रिट याचिका सं०-
1110/एस०एस०/2014 हरस्वरूप बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० उच्च
न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2016 एवं दिनांक 07.04.2017 का अनुपालन
किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरणों में शासन के पत्रांक-1483/111(1)/17-04(12)रि० या०/17,
दिनांक 28.09.2017 (प्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन के पत्र सं०-720/111(1)/
17-59(रि० या०)/2014, दिनांक 16.06.2017 द्वारा रिट याचिका सं०-1110/एस०एस०/2014 हरस्वरूप
बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.06.2016 के अनुपालन में
रिट याचिका में उल्लिखित वाद सं०-01 श्री हरस्वरूप एवं वादी सं०-07 श्री समय सिंह की विभागीय
नियमित सेवा 10 वर्ष से कम होने के दृष्टिगत स्थापित वित्तीय नियमों के अनुसार नियमित सेवा की
अवधि पूर्ण न होने के दृष्टिगत पेंशन लाभ दिया जाना सम्भव नहीं है, के अनुसार कार्यवाही किये जाने
के निर्देश दिये गये थे। उक्त रिट याचिका में मा० उच्च न्यायालय द्वारा अन्य वादीगणों के सम्बन्ध में
यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि यदि कोई कर्मचारी शासनादेश दिनांकित 25.10.2005 जो दिनांक
01.10.2005 से लागू है, के बाद भी विनियमित हुआ है, परन्तु उसकी सेवा दिनांक 01.10.2005 के पूर्व से
ही प्रारम्भ है तो उसे पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जायेगा। अधिसूचना दिनांकित 25.10.2005 में
यह उल्लेख है कि यह योजना केवल सेवा में आने वाले (New Entrants) कर्मचारियों के लिए है।

अतः शासन के उक्त पत्र के अनुक्रम में मा० न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन हेतु ऐसे
वर्कचार्ज कर्मचारी पुरानी पेंशन के लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो-

1. कार्मिक विभाग के अन्तर्गत दिनांक 01.10.2005 से पूर्व कार्यरत थे।
2. उक्त कार्मिक दिनांक 01.10.2005 के उपरान्त विभाग के अन्तर्गत नियमित अधिष्ठान में नियुक्त किये
गये थे।
3. उक्त कार्मिक द्वारा नियमित रूप से 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्व कर ली गयी हो।

इस रागमिज के जर्नाल 1617/2185 वि-50-17 दि० 27-10-17
हाल निरस्त

—2—

ऐसे समस्त वर्कचार्ज कर्मचारियों जो उक्त शर्तों को पूरा करते हो, को पुरानी पेंशन दिये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

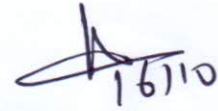
संलग्न:- यथोपरि।

मुख्य अभियन्ता स्तर-1(मु0)

प्रतिलिपि:- अपर सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को शासकीय पत्र दिनांक 28.09.2017 की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न:- यथोपरि।



मुख्य अभियन्ता स्तर-1(मु0)



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
"विधि प्रकोष्ठ वर्ग"
लोक निर्माण विभाग, देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Phone & Fax:- 0135-2531742, 2530431

E-Mail-eicpwduk@nic.in

Website-http://pwd.uk.gov.in

पत्र सं०- 1612/2185 वि०प्र०/17
सेवा में,

दिनांक 27/10/2017

समस्त मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
.....।

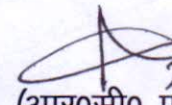
विषय:- रिट याचिका सं०-375/एस०एस०/2017 रणधीर सिंह, 376/एस०एस०/2017 रामकुमार, 377/एस०एस०/2017 अमरनाथ सिंह, 378/एस०एस०/2017 रणबीर सिंह, 557/एस०एस०/2017 प्रीतम सिंह व अन्य बनाम राज्य तथा रिट याचिका सं०-1110/एस०एस०/2014 हरस्वरूप बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2016 एवं दिनांक 07.04.2017 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक-1580/2185वि०प्र०/17, दिनांक 16.10.2017.
महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश दिनांक 28.09.2017 के अनुसार ऐसे समस्त वर्कचार्ज कर्मचारी जो दिनांक 01.10.2005 से पूर्व कार्यरत थे तथा दिनांक 01.05.2005 के पश्चात् नियमित अधिष्ठान में नियुक्त हुए हो एवं 10 वर्ष की सेवा संतोषजनक पूर्ण कर ली हो तो पुरानी पेंशन का लाभ दिये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन के पत्र दिनांक 28.09.2017 द्वारा उक्त विषयक रिट याचिका सं०-375/एस०एस०/2017 रणधीर सिंह, 376/एस०एस०/2017 रामकुमार, 377/एस०एस०/2017 अमरनाथ सिंह, 378/एस०एस०/2017 रणबीर सिंह, 557/एस०एस०/2017 प्रीतम सिंह व अन्य बनाम राज्य तथा रिट याचिका सं०-1110/एस०एस०/2014 हरस्वरूप बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य से सम्बन्धित याचीगण को ही पुरानी पेंशन का लाभ दिये जाने के निर्देश दिये गये थे।

अतः इस कार्यालय के पत्र दिनांक 16.10.2017 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

संलग्न:- यथोपरि।


(आर०सी० पुरोहित)

मुख्य अभियन्ता स्तर-। (मुख्यालय)

1-प्रतिलिपि:- अपर सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

2-प्रतिलिपि:- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, वृत्त, लोक निर्माण विभाग,को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


मुख्य अभियन्ता स्तर-। (मुख्यालय)